कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/3283 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2025 रायपुर, दिनांक 02-04-2025

// फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) अभ्यर्थियों हेतु इंटर्नशिप काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण सूचना //

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने Foreign Medical Graduate Screening Test परिक्षा उत्तीर्ण कर ली है और छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वे निम्न समय–सारणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित ऑनलाईन आवेदन शुल्क के साथ प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा।

शुल्क :–

शुल्क विवरण	छ.ग. राज्य के मूल निवासियों हेतु	राज्य के बाहर के निवासियों हेतु
ऑनलाईन आवेदन शुल्क	रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र)	रू. 1000/– (रूपये एक हजार मात्र)
प्रोसेसिंग शुल्क	रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र)	रू. 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र)
कुल शुल्क	रू. 11,000/– (रूपये ग्यारह हजार मात्र)	रू. 26,000/– (रूपये छब्बीस हजार मात्र)

समय–सारिणी :–

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि	दिनांक 04 अप्रैल 2025 समय (Server Time) 11.00 Hrs. (11:00 AM) से
2	ऑनलाईन आवेदन – अंतिम तिथि	दिनांक 14 अप्रैल 2025 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक
3	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	दिनांक 14 अप्रैल 2025 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जिनके पास NMC द्वारा जारी FMG स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/स्कोर कार्ड है।
2. ऑनलाईन आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
   - FMG प्रमाणपत्र/स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड
   - छत्तीसगढ़ राज्य मूलनिवासी प्रमाणपत्र (यदि छ.ग. राज्य के मूल निवासी हो तो)
   - मूल शपथ पत्र (Notarized Affidavit)

क्रमश—2—

3. भुगतान केवल (i) क्यूआर कोड आधारित यूपीआई और (ii) बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जा सकता है। भुगतान करने के पश्चात अभ्यर्थियों को फॉर्म में ट्रांजेक्शन का विवरण भरना अनिवार्य होगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा, चाहे अभ्यर्थी आवंटित इंटर्नशिप कार्यक्रम में शामिल हों या नहीं।

4. काउंसिलिंग की समस्त प्रकिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था चयन) अभ्यर्थी द्वारा स्वंय किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी। यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

अभ्यर्थी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) इंटर्नशिप काउंसिलिंग प्रक्रिया की समय–सारिणी, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट ***www.cgdme.in*** का अवलोकन करें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.